an>

Title: Need to grant Group 'B' status to railway engineers.

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद) ः मैं केन्द्र सरकार का ध्यान समस्त भारतवर्ष में फैले 80 हज़ार रेलवे इंजीनियरों (JE & SSE) की समस्याओं की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। डी.ओ.पी.टी. के गजट नोटिफिकेशन सं. 605 दिनांक, 09-04-2009 के अनुसार वर्तमान में रेलवे सहित किसी भी अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठन में ग्रुप सी सबसे निम्न स्तर है। सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों ने डी.ओ.पी.टी. के गजट नोटिफिकेशन के अमल में आने के बाद ग्रेड पे-4200 के इंजीनियरों को ग्रुप सी से ग्रुप बी राजपत्रित कर दिया है जबकि भारतीय रेलवे में ऐसा नहीं है।

रेलवे बोर्ड ने आंशिक रूप से उपरोक्त गजट नोटिफिकेशन को लागू कर रेलवे में कार्यरत खलासी तथा हेल्पर को ग्रुप डी से ग्रुप सी कर रेलवे इंजीनियरों के समकक्ष ला खड़ा किया है जोकि इन इंजीनियरों के साथ अन्याय है।

अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठन जैसे कि सी.पी.डब्ल्यू.डी., एम.ई.सी., सी.डब्ल्यू.सी. इत्यादि में ग्रेड पे-4200 के भर्ती इंजीनियर अपनी 30 साल की सर्विस के बाद ग्रेड पे-7600 पर निश्चित प्रमोशन के साथ पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय रेलवे में कार्यरत इंजीनियर जो ग्रेड पे-4600 पर भर्ती होता है, वह बिना किसी प्रमोशन के साथ उसी पद सेवानिवृत हो जाता है।

सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पैरा 11.40.104 में नःसंदेह माना है कि रेलवे इंजीनियर रेलवे की सुरक्षित एवं कुशल संचालन में सबसे महत्वपूर्ण निभाते हैं किंतु रेलवे बोर्ड के आधारहीन तथ्यों की वजह से इसे पैरा 11.40.115 में नकार दिया गया। पूर्व में जस्टिस खन्ना कमेटी तथा विवेक देवराय कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट्स में रेलवे इंजीनियरों को उचित प्रमोशन और वेतनमान तथा रेलवे मजदूर संगठनों से अलग रखने की संस्तुति दी थी, जिसमें रेलवे के नवीनीकरण को मजबूती प्रदान की जा सके।

भारतीय रेलवे का सबसे तकनीकी संगठन है, जिसमें 80 हज़ार रेलवे इंजीनियर कार्यरत है तथा इन्हें ग्रुप बी का दर्जा देने से रेलवे को सालाना 150 करोड़ रूपयों की राजस्व की बचत होगी।